संख्या 3/जी-2-100/दस-2014-216-79

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2014

विषय:-महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-2-2017/दस-2008-216/79, दिनांक 08-12-2008, कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-2-573/दस-2009-216-79, दिनांक 24-03-2009 एवं शासनादेश संख्या जी-2-176/दस-2011-216-79, दिनांक 11-04-2011 द्वारा प्रदेश की महिला सरकारी सेवकों को केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों की भांति बाल्य देखभाल अवकाश की सुविधा कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी थी। उक्त के क्रम में इस बिन्दु पर विचार किया गया कि क्या तीसरे बच्चे, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, के लिए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किया जाय। साथ ही बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया पर भी विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय इस संदर्भ में निम्नानुसार व्यवस्था किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-बाल्य देखभाल अवकाश दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।

(2)-बाल्य देखभाल अवकाश के लेखे का रख-रखाव संलग्न प्रारूप में किया जायेगा और इसको संबंधित सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका के साथ रखा जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त संदर्भ में अन्य शर्ते यथावत् प्रभावी रहेंगी।

3- उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे।

4- संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्याः 3/जी-2-100(1)/दस-2014-216-79, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
बी0 के0 सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

Proforma for maintaining Child Care Leave Account

Period of Child Care Leave Taken		Balance of Child Care Leave		Signature and designation the certifying officer
From	To	Balance	Date	
(1)	(2)	(3)	(4)	

http://shasanadesh.up.nic.in